बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

आदेश

पत्रांक–01 / सू०प्रा०(स्था०)–13 / 2015......707...... पटना, दिनांक 01/7/22

बेल्ट्रॉन के द्वारा आऊट सोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों / कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न कोटि के महिला संविदा कर्मी यथा–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक एवं आई०टी० गर्ल को पूर्ण वेतन पर निम्नांकित शर्तों के साथ मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी:–

(i) मातृत्व अवकाश की सुविधा ऐसी सभी महिला कर्मियों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीनों में कम–से–कम 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी है।

(ii) अनुमानित प्रसव तिथि से 8 सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के 18 सप्ताह बाद तक (कुल 26 सप्ताह) अवकाश अनुमान्य होगी।

(iii) दो जीवित बच्चों के बाद प्रसव की स्थिति में अनुमानित प्रसव तिथि से छः सप्ताह पूर्व एवं प्रसव के छः सप्ताह बाद तक (कुल 12 सप्ताह) अवकाश अनुमान्य होगा।

(iv) अवकाश अवधि में निगोशिएबल ईस्ट्रूमेंट एक्ट एवं कार्यपालक आदेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा घोषित सभी प्रकार की छुट्टियाँ मातृत्व अवकाश के गणना में शामिल होगी।

(v) अवकाश उपभोग के बाद योगदान के पश्चात् कर्मी उसी वेतन का हकदार होगा जो वेतन अवकाश में प्रस्थान करने के पूर्व उसे मिल रहा था। अवकाश अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि की अवस्था में कर्मी को अगली वेतन वृद्धि अवकाश उपरांत योगदान की तिथि को स्वीकृत की जा सकेगी, जिसका प्रभाव मात्र उसी वर्ष तक होगा। आगामी वर्षों में पूर्ववत् आदेश संख्या–576 दिनांक 27.04.2017 के अनुरूप जनवरी माह में वेतन वृद्धि दी जा सकेगी।

(vi) मातृत्व अवकाश की अवधि में माता की मृत्यु होने की स्थिति में मातृत्व लाभ मृत्यु की तिथि तक अनुमान्य होगा तथा अगर माता बच्चे को जन्म देती है एवं प्रसव के दरम्यान या तुरंत बाद उसकी (माता) मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को पूरे अनुमान्य काल का मातृत्व लाभ देय होगा।

अनुमान्य मातृत्व काल में अगर बच्चे की भी मौत हो जाती है तो मातृत्व लाभ बच्चे के मौत की तिथि तक देय होगा।

(vii) तीन वर्ष से कम उम्र के कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे के लिए गोद लेने के तिथि से या सरोगेट माँ को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा।

2. प्रस्ताव में विधि विभाग, वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है।

3. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश संख्या–576 दिनांक 27.04.2017 उक्त हद तक संशोधित समझे जायेगें।

V Anand

(विशाल आनन्द)
विशेष कार्य पदाधिकारी

क्रमशः 2/–

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015...707... पटना, दिनांक 01/7/22
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

W Anand
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015...707... पटना, दिनांक 01/7/22
प्रतिलिपि : सभी कोषागार/उप–कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W Anand
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015...707... पटना, दिनांक 01/7/22
प्रतिलिपिः सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना/सभी अनुमंडलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W Anand
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015...707... पटना, दिनांक 01/7/22
प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W Anand
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक : 01/सू०प्रा०(स्था०)–13/2015...707... पटना, दिनांक 01/7/22
प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/आई० टी० प्रबन्धक, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० प्रबन्धक को निदेश दिया जाता है कि सूचना प्रावैधिकी विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

W Anand
विशेष कार्य पदाधिकारी